न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 152/21

अनवान :

1. रणजीतसिंह पुत्र तुलसीराम जाति अहीर निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 112 एल.आर.एक्ट स पठित धारा 128 एलआरएक्ट, व 136 एलआरएक्ट

उपस्थित : वकील श्री किशनलाल यादव- प्रार्थी

पेरोकार राज

आदेश दिनांक : 10.01.22

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मौजा जाटान के खसरा सं0 60 की 2.415है0 खसरा सं0 64/395 की 0.620है0 कुल 3.035है0 बारानी खातेदारी भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी को सैना से रिटायर्ड होने के बाद में प्रार्थी को पुख्ता तौर से आंवटन हुई थी। उक्त भूमि आवंटन होने के बाद में प्रार्थी को राजस्व विभाग द्वारा पास बुक जारी कर दी गई जिसमें भूमि का विवरण एवं साथ में भूमि का नक्शा जो मौके पर कब्जा सम्भलाया था एवं जो भाग खसरा न0 64 का 64/395 आवंटन हुआ था उसका अलग से सीमांकन कर दिया गया। प्रार्थी को उक्त पास बुक जारी कर दी गई। लेकिन सवहन से ग्राम जाटान के राजस्व नक्शा में प्रार्थी का 64/395 तरमीम होकर अलग से दर्ज होना रह गया। प्रार्थी ने अब भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहा तब उक्त गलती जो रह गई उसका ज्ञान तहसीलदार भादरा द्वारा एवं पेमाईश करने गई टीम डीजीपीएस को नक्शा देखने पर पता चलता है। उक्त नक्शा ग्राम जाटान के राजस्व नक्शा में अलग से दर्ज किया जाना न्यायाहित में जरूरी है। नक्शा में तरमीम नक्शा दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है इसलिए प्रार्थी गांव जाटान के राजस्व नक्शा में खसरा न0 64 में प्रार्थी को आवंटित एवं पासबुक में दर्ज तरमीम नक्शा 64/395 का मुताबिक आवंटन तरमीम करके अलग से दर्ज करवाने व तरमीम नक्शा के अनुसार सीमा चिन्ह लगवाने तथा तरमीम नक्शा दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व, भादरा (जिला-हनुमानगढ)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार भादरा को जरिये नोटिस तलब किया गया। व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट की तथ्यात्मक व विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने रोही मौजा जाटान के खसरा सं0 60 की 2.415है0 खसरा सं0 64/395 की 0.620है0 कुल 3.035है0 बारानी खातेदारी भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में खसरा सं0 64/395 का मुताबिक आवंटन तरमीम करके अलग से दर्ज करवाने व तरमीम नक्शा के अनुसार सीमा चिन्ह लगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा उक्त प्रकरण में फर्द मोका रिपोर्ट व तरमीम रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अनुसार उक्त रकबा आबादी क्षेत्र के नजदीक होने पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 4752 दिनांक 17.08.2021 एवं श्रीमान भू प्रबंध अधिकारी महोदय के आदेश कमांक 717 दिनांक 28.10.2021 की पालना में भू प्रबंध विभाग एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा 10, 11 तथा 19 नवम्बर 2021 को खसरा सं0 60 का सीमाज्ञान विभिन्न खसरों के कोर्डिनेट के आधार पर किया गया एवं खसरा सं0 64/395 के सीमाज्ञान हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज एक अन्य नामान्तरण सं0 745 किस्म खाता विभाजन में 64 के अन्य बट्टा नम्बरों यथा 64/394, 64/397, 64/399 व 64/398 की तरमीम संयुक्त टीम द्वारा उपलब्ध करवाये गये खसरा सं0 60 के बिन्दूओं, खसरा सं0 63 तादादी 0.569है0 गै0 मु0 राजीव गांधी पाठशाला के आरक्षित के सीमा बिन्दूओं से खसरा सं0 64/395 के तादादी 0.620है0 के सीमा बिन्दूओं की निर्धारण किया गया। उक्त खसरा प्रार्थी के अन्य खसरा सं0 60 के सलंग्न है एवं प्रस्तावित तरमीम बिन्दूओं की माप के साथ नक्शे में दर्शाया गया है।

बहस पर मनन किया जाकर व प्रर्थाना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज तथा तहसीलदार भादरा द्वारा पेश रिपॉर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को आवंटित एवं पासबुक में दर्ज तरमीम नक्शा 64/395 की 0.620है0 भूमि के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में तरमीम अलग से दर्ज करने व नक्शे के अनुसार सीमा चिन्ह लगाने तथा तरमीम नक्शा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आदेश आज दिनांक 10.01.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ...

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) RAS
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़